प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित .....
" आदर्श उप–विधि"

1 **नाम, पता और कार्य क्षेत्र :–**

1.1 इस संस्था का नाम प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित . . . . . होगा, एवं इसका पंजीकृत पता ग्राम . . . . . पोस्ट . . . . . विकास खण्ड . . . . . तहसील . . . . . जिला . . . . . होगा । पंजीकृत पते में कोई भी परिवर्तन की लिखित सूचना 30 (तीस) दिन में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी मध्यप्रदेश को दी जाएगी । संस्था का कार्यक्षेत्र . . . . . ग्राम/ग्रामों तक संस्था रहेगा ।

1.2 संस्था के समस्त कागजातों पर संस्था के नाम के साथ उसका पंजीकृत पता व "मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960(क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन रजिस्टीकृत" लिखा जाएगा ।

2 **परिभाषायें :–**

2.1 "संस्था" से अभिप्रेत है,———— सहकारी दुग्ध संस्था मर्यादित ———— ।

2.2 "संघ" से अभिप्रेत है, ———— सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ———— जिससे संस्था सम्बद्ध होगी ।

2.3 "संचालक गण्डल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 48 के अधीन गठित किसी सहकारी सोसाइटी का कोई ऐसा शासी निकाय या प्रबंधन बोर्ड चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जिसे किसी सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंध का संचालन और निगंत्रण सौपा गया हो।

2.4 "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार तथा इसमें ऐसे अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है, जिन्हें उपरोक्त अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सहकारी सोसाइटियों से संबंधित रजिस्ट्रार के अधिकार प्रदत्त किए गए हो।

2.5 "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) (समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम)

2.6 "नियम" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अन्तर्गत बने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 (समय–समय पर यथा संशोधित नियम)

2.7 "प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है, संस्था का कोई ऐसा सदस्य, जो संस्था का प्रतिनिधित्व अन्य संस्था में करें।

2.8 "विनिर्दिष्ट पद" से अभिप्रेत है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष।

2.9 'प्राधिकारी"से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 57–ग की उपधारा (1) के अधीन गठित "मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी" ।

2.10 "समन्वयक" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियो का निर्वाचन संचालित कराने के लिए प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जो जिला स्तर पर उप/सहायक रजिस्ट्रार होगा।

2.11 "वित्तदायी बैंक" से अभिप्रेत है, कोई भी ऐसा बैंक जिसका उद्देश्य अन्य संस्थाओं को या उसके वैयक्तिक सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों को सृजित करना है और उसके अन्तर्गत आते है यथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक, जो संस्था को उसके व्यवहार हेतु ऋणों की आपूर्ति करते हों।

2.12 "सचिव" से अभिप्रेत है, संस्था के प्रबंध हेतु नियुक्त संस्था प्रबंधक जो संचालक मण्डल के अधीक्षण, नियत्रंण ओर निर्देशन के अध्यधीन कार्य करेगा।

2.13 "संपरीक्षक" से अभिप्रेत है, संस्था की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति।

2.14 "संपरीक्षा फर्म" से अभिप्रेत है, संस्था की संपरीक्षा के लिए प्राधिकृत चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म।

3 उद्देश्य :–

3.1 शुद्ध, उचित स्तर के दूध उत्पादन हेतु आवश्यक कार्यक्रम लागू करना। प्रति गाय एवं भैस के दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु कार्यक्रम लागू करना एवं इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सदस्यों को आवश्यक मार्गदर्शन व सहायता देना ।

3.2 संघ के माध्यम से दूध के अधिक लाभदायी विक्रय, विपणन हेतु सुविधायें उपलब्ध कराना ।

3.3 पशु नस्ल सुधार, नस्ल संरक्षण तथा पशु स्वास्थ्य सुधार हेतु डेयरी विकास तथा पशु पालन से सम्बंधित सभी आवश्यक कार्यक्रम लागू करना ।

3.4 दुधारू पशुओं के लिए संतुलित पशु आहार एवं हरे चारे के उत्पादन में वृद्धि हेतु उपयुक्त कार्यवाही करना।

3.5 संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार शासन, वित्तदायी बैंक, सहकारी दुग्ध संघ एवं सहकारी दुग्ध महासंघ से ऋण/अनुदान, आर्थिक सहायता प्राप्त करना तथा निर्धारित शर्तों अनुसार समय पर भुगतान करना।

4 निधियाँ :–

4.1 संस्था की निधियाँ निम्नानुसार, एकत्रित की जाएगी :–

(1) अंश निर्गमन द्वारा ।

(2) निम्नानुसार अमानत प्राप्त कर ।

अ. सदस्यों से ।

ब. असदस्यों से, लेकिन उन्हीं से जो संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों ।

(3) ऋण प्राप्ति से।

(4) दान/अनुदान प्राप्ति से ।

(5) प्रवेश शुल्क से।

4.2 अंशों द्वारा एकत्रित अंशपूंजी राशि रूपये 10,00,000 (रूपये दस लाख मात्र) से अधिक नहीं होगी। अंश का दर्शनीय मूल्य (Face value) रूपये 100 होगा, जो

कि अंश आवेदन के साथ देय होगा ।

4.3 सचांलक मण्डल द्वारा निर्धारित अवधि एवं ब्याज दर पर मदतती चालू एवं बचत अमानतों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर बैंक द्वारा अमानतों पर दी जाने वाली दर के समान अथवा एक प्रतिशत कम होगी ।

4.4 कुल ऋण एवं अमानतें मिलाकर, प्रदत्त अंशपूंजी, रक्षित निधि की कुल राशि में से संचित हानि घटाने के बाद शेष राशि के दस गुना से अधिक नहीं होगी ।

4.5 अनुपयोगी रहने पर संस्था की निधियाँ मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 44 के अनुसार जमा/विनियोजित की जाएंगी ।

टिप्पणी दूध संग्रह केन्द्र हेतु निर्मित होने वाला भवन, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र आदि संस्था के विशेष अधिकार के अन्तर्गत आएंगे, परन्तु रजिस्ट्रार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी ।

5 सदस्यता :–

5.1 संस्था में 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे ।

5.2 कोई भी दूध उत्पादक उस समय तक सदस्य होगा, जब तक कि :–

(1) वह संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करता हो, आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो एवं जो अनुबंध करने के लिए सक्षम हो।

(2) सचांलक मण्डल के बहुमत द्वारा निर्धारित प्रारूप (Form) में सदस्यता हेतु उसके द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन स्वीकार किया जा चुका हो ।

(3) दूध उत्पादन हेतु कम से कम एक गाय या भैंस रखता हो ।

(4) जिसने अपने आवेदन के दिनांक से पूर्व निरन्तर तीन माह तक, संस्था को नाम मात्र के सदस्य के रूप में दूध प्रदाय किया हो ।

(5) जिसने कम से कम एक अंश लिया हो तथा प्रवेश शुल्क (दस रूपये) जमा कर दिया हो।

(6) जिसने लिखित में आधिक्य दूध उत्पादन की बिक्री के लिए किसी अन्य की अपेक्षा, केवल संस्था को ही प्रदाय करने की स्वीकृति दी हो ।

(7) जो दिवालिया न हो और वैधानिक योग्यता रखता हो ।

(8) जो नैतिक अधमता (Moral Turpitude)के लिए दण्डित नहीं किया गया हो।

5.3 कोई भी व्यक्ति जो दूध अथवा दूध पदार्थों का व्यवसाय करता हो, संस्था का सदस्य नहीं बनाया जाएगा ।

5.4 उप–विधि कमांक 5.2 में दी गई योग्यता रखने वाला व्यक्ति दस रूपये जमा करके अधिकतम छः माह की अवधि के लिए नाम मात्र सदस्य बन सकता है ।

टीप:– 1. संस्था के पंजीयन के मूल आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले प्रस्तावक उप–विधि कमांक 5.2 (2) एवं 5.2(4) से मुक्त रहेंगे

2. नामांकित व्यक्ति या उसका वैधानिक उत्तराधिकारी, जिसे उसके द्वारा अपनी मृत्यु की दशा में अंश हित लेने के लिए अधिकृत किया गया हो, सचांलक मण्डल द्वारा उसकी सदस्यता या आवेदन स्वीकार करने की दशा में उप–विधि कमांक 5.2 एवं 5.6 से मुक्त रहेगा ।

5.5 किसी भी सदस्य का दायित्व, संस्था द्वारा उसको प्रदत्त अंशों की राशि तक ही सीमित रहेगा।

5.6 कोइ भी सदस्य सचालक मण्डल को अपना त्याग पत्र प्रस्तुत कर एवं उसे स्वीकृत कराकर संस्था से पृथक हो सकेगा, लेकिन ऐसी स्वीकृति तब तक नहीं दी जा सकेगी, जब तक कि उसकी ओर संस्था का ऋण शेष हो अथवा वह किसी अन्य सदस्य का प्रतिभू हो। यदि किसी सदस्य की ओर संस्था का ऋण शेष नहीं है एवं वह अन्य सदस्य का प्रतिभू नहीं है तो उसका त्याग पत्र उसके द्वारा त्याग पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक के एक माह बाद स्वीकृत समझा जाएगा, चाहे संचालक मण्डल द्वारा उसे स्वीकृत नहीं किया गया हो ।

5.7 निम्न कारणों से संचालक मण्डल की बैठक में उपस्थित एवं मतदान की पात्रता रखने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संस्था के किसी भी सदस्य को निष्कासित किया जा सकेगा :–

(1) यदि वह सतत् रूप से दोषी है ।

(2) यदि वह असत्य कथन द्वारा संस्था को जान–बूझकर धोखा देता है ।

(3) यदि वह जान–बूझकर कोई ऐसा कार्य करता है, जिससे संस्था की साख को क्षति होने की संभावना है।

(4) यदि वह सचांलक मण्डल के सुझावों एवं पारित प्रस्तावों का सतत् अनादर करता हो ।

(5) यदि उसके पास दूध देती हुई गाय या भैंस है और वह किसी अन्य को दूध विक्रय करता है तथा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के क्रय एवं विक्रय में व्यवहाररत् है ।

(6) यदि वह संस्था के कार्यक्षेत्र में नियमित निवास नहीं करता है एवं सदस्य बनने हेतु निर्धारित योग्यता में से कोई भी एक योग्यता नहीं रखता है ।

(7) यदि उसने गत् सहकारी वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में संस्था को 180 दिन या 400 लीटर से कम दूध प्रदाय किया हो किन्तु किसी भी सदस्य को निष्कासन के पूर्व उसे सचांलक मण्डल के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा और संस्था का प्रस्ताव प्रस्तुत अधिनियम की धारा 19 (सी) के अनुरूप होगा।

(8) यदि वह ऐसा व्यक्ति है, जिसे किसी सहकारी संस्था की सेवा से या सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा से हटा दिया गया हो।

5.8 निम्नलिखित में से किसी एक कारण से किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी किन्तु सदस्य अथवा उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को 7 दिन में इस निर्णय की सूचना दी जाएगी ।

– मृत्यु पर ।

– संचालक मण्डल द्वारा उसका त्याग पत्र स्वीकृत किए जाने पर ।

– उसके द्वारा संस्था का-धारित अंश किसी अन्य को हस्तांतरित हो जाने पर ।

– उप–विधि कमांक 5.7 में बताए कारणों से निष्कासित करने पर ।

– यदि उसने उप–विधि कमांक 5.2 में वर्णित कोई भी योग्यता खो दी हो ।

– अधिनियम की धारा 19 (सी) के अनुसार निष्कासित किए जाने पर ।

(2) किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त होने पर संस्था उसको देय सभी राशि छः माह में वापिस करेगी ।

5.9 संस्था के अंशों के लिए व्यक्ति द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा एवं संचालक मण्डल द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा।

5.10 प्रत्येक अंशधारी को अलग अनुक्रमांक के "अंश प्रमाण–पत्र" दिए जाएंगे। किसी अंशधारी द्वारा अपने अंश/अंशिका को संचालक मण्डल के निर्णय अनुसार प्रतिसादित किया जा सकेगा और ऐसे प्रतिसादित अंशों की राशि रक्षित निधि में ले जाई जाएगी । लेकिन ऐसे अंश प्रतिसादित करने के पूर्व अंशधारी को 15 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जाएगी ।

5.11 कोई भी सदस्य एक वर्ष तक अंश धारण के पश्चात् संचालक मण्डल की स्वीकृति से अन्य सदस्य/सदस्यों को अंश हस्तांतरण कर सकेगा लेकिन इस हेतु 15 दिन पूर्व निर्धारित प्ररूप (Form) में अंशों के केता की सहमति के साथ आवेदन करना होगा। अंशों का अन्तरण तभी पूर्ण माना जाएगा जब रूपये 5.00 अन्तरण शुल्क संस्था में जमा कर दिया गया हो एवं अंश अन्तरण (हस्तांतरण) पंजी में तदाशय की प्रविष्टि कर दी गई हो ।

5.12 उप–विधि कमांक 5.7 के अन्तर्गत निष्कासित सदस्यों के अंश/अंशों की राशि साधारण सभा के प्रस्ताव द्वारा राजसात् की जाएगी ।

5.13 कोई भी सदस्य दो वर्ष तक अंश/अंशों को धारण करने के बाद, उनकी राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा, परन्तु उसे तीन माह पूर्व संस्था को सूचना देनी होगी, इस प्रकार वापिस की जाने वाली अंश राशि गत् वर्ष 31 मार्च तक कुल प्रदत्त अंश पूंजी के 1/10 से अधिक नहीं होगी ।

5.14 कोई भी सदस्य, संस्था के अंशपूंजी के 1/5 अथवा रूपये 20000.00 (बीस हजार रूपये) दोनों में से जो भी कम हो, उससे अधिक अंश धारण नहीं कर सकेगा।

5.15 संस्था का कोई भी सदस्य, संस्था के किसी कर्मचारी या अधिकारी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद उसके अंश/हित या अन्य राशि प्राप्त करने हेतु नामांकित कर सकेगा। ऐसे प्रथम नामांकन हेतु कोई राशि/शुल्क नहीं ली जाएगी, किन्तु इसके बाद प्रत्येक परिवर्तन या अन्तरणों पर रूपये 5.00 शुल्क लिया जाएगा। ऐसे नामांकित, सदस्य को दो गवाह के समक्ष हस्ताक्षर करने होंगे।

5.16 सदस्य की मृत्यु की दशा में संस्था में उसके अंशों या अन्य जमा राशियों में से वसूली योग्य राशि कम करके उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति या व्यक्तियों को या ऐसे नामांकन के अभाव में संचालक मण्डल के अनुसार, ऐसे व्यक्ति को जो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के रूप में उक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी हो, इन्डेमिनिटी बॉण्ड भरने पर, भुगतान की जाएगी। मुद्दती जमा राशि उसकी अवधि समाप्त पर ही दी जा सकेगी ।

5.17 निम्न कारणों से कोई भी सदस्य संस्था के सदस्य के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा और वह सदस्य किसी संस्था का सदस्य नहीं होगा :–

(1) यदि वह मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 48–"ए" के अधीन निरर्हित है ।

(2) यदि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी सहकारी संस्था की सेवा या सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा से हटा दिया गया है ।

5.18 कोई भी सदस्य मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकता यदि :–

(1) जिसका संस्था के प्रति कोई देय हो ।

(2) उसने प्रत्येक सहकारी वर्ष में संस्था को 100 दिन अथवा 400 लीटर से कम दूध प्रदाय किया हो।

5.19 सस्था मे एक सदस्य रजिस्टर रखा जाएगा, इस रजिस्टर में निम्नांकित प्रविष्टियॉ की जाएगी।

(1) सदस्य का नाम, पता तथा उसकी उपजीविका ।

(2) उसके द्वारा धारित अंशों की संख्या ।

(3) वह तारीख जिसको उह सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया गया ।

(4) वह तारीख जिसको वह सदस्य नहीं रह गया ।

(5) उस नामांकित व्यक्ति का नाम जो सदस्य के अंश या हित का हकदार होगा साथ ही नामांकन अभिलिखित की जाने की तारीख ।

5.20 सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

(1) संस्था द्वारा सदस्यों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार ।

(2) सदस्यता से निष्कासन की स्थिति में रजिस्ट्रार को अधिनियमों/नियमों द्वारा निर्धारित समयावधि में अपील का अधिकार ।

(3) अपने में से संस्था के संचालक मण्डल के सदस्य को चुनने का अधिकार ।

(4) उप–विधियों/नियमों/अधिनियमों के अनुसार संस्था की आम सभा में भाग लेकर मतदान का अधिकार ।

(5) संस्था की गतिविधियों की एवं उनकी प्रगति के बारे में जानकारी, अध्यक्ष या सचिव/प्रबंधक से लिखित आवेदन पत्र देकर प्राप्त करने का अधिकार ।

(6) संस्था से त्याग पत्र देकर अपनी अंश राशि प्राप्त करने का अधिकार सदस्यों को होगा। सदस्यों की ओर बकाया किसी भी प्रकार की राशि या ऋण की राशि घटाकर शेष बची राशि ही संस्था द्वारा दी जाएगी।

(7) संस्था के वार्षिक कार्यक्रम, आगामी बजट, गत् वर्ष के कार्यों के वित्तीय पत्रक तथा अंकेक्षण टीप पर आम सभा में विचार करने के लिए सदस्यों को समान मताधिकार होगा । सभी सदस्यों को आम सभा में भाग लेने तथा निर्णय का सामान अधिकार होगा ।

(8) दुग्ध संघों/दुग्ध संस्था से प्राप्त होने वाली विभिन्न शासकीय सुविधाओं/योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का अधिकार तथा प्रदायित ऋण सुविधा के बदले उनकी ऋण किश्ते एवं अन्य राशि का निर्धारित समय पर भुगतान सुनिश्चित करना।

6 साधारण सभा :–

6.1 अधिनियम, नियम, उप–विधियों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की साधारण/आम सभा को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होगी । संस्था की प्रथम साधारण सभा को वही शक्तियां प्राप्त होगी जो कि वार्षिक साधारण सभा के लिए आगे दर्शाई गई है ।

6.2 प्रत्येक सहकारी संस्था वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर साधारण निकाय का वार्षिक सम्मिलन बुलाएगी, जिसमे निम्न कार्य होंगे :–

(1) गत् साधारण/आम सभा की कार्यवाही की पुष्टि करना ।

(2) संस्था के कियाकलापों एवं बजट जो कि संचालक मण्डल द्वारा आगामी वर्ष के लिये तैयार किया गया हो, अनुमोदन करना।

(3) संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन, यदि वह कराया जाना अपेक्षित हो

गया हो।

स्पष्टीकरण :– संचालक मण्डल का निर्वाचन अपेक्षित हो गया समझा जाएगा यदि संचालक मण्डल का अवाध समाप्त हो गई हो।

(4) संपरीक्षा रिपोर्ट (ऑडिट रिपोर्ट) यदि प्राप्त हुई हो तो तथा वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना।

(5) शुद्ध लाभ के व्ययन पर चर्चा करना (शुद्ध लाभ का उप–विधि अनुसार निराकरण करना)।

(6) वित्तीय वर्ष में कार्य संचालन के कारण हुए घाटे के कारणों का परीक्षण करना।

(7) लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए संपरीक्षक की नियुक्ति करना।

(8) संस्था के गत् वर्ष के वित्तीय लेखों व स्थिति विवरण पत्रक का अनुमोदन करना।

(9) प्रथम साधारण/ आम सभा में सचांलक मण्डल के गठन होने के कारण उपरोक्त खण्ड 6.2(1) से 6.2(2) लागू नहीं होंगे ।

(10) आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त करना तथा संस्था के सदस्यों के नाम, पूर्ववर्ती वर्षो के दौरान बकाया, उधारों या अग्रिम राशियाँ, यदि हो का विवरण दर्शाना।

(11) रजिस्ट्रार, सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ——— तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक से प्राप्त निर्देशों पर विचार करना तथा आवश्यक निर्णय लेना ।

(12) अधिकतम ऋण सीमा का निर्धारण करना।

(अ) उप–विधि क्रमांक 4.3 के अन्तर्गत एकत्रित की जाने वाली निधियों की सीमा का विनिश्चय करना ।

(ब) उप–विधि क्रमांक 4.4 के अन्तर्गत एकत्रित की जाने वाली अधिकतम ऋण सीमा का निर्धारण करना।

(13) संघ के निर्देशानुसार दूध सग्रहण एवं परिवहन की आवश्यक व्यवस्था करना।

(14) संस्था की उप–विधि एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों में आवश्यक संशोधन परिवर्तन परिवर्धन या निरसन रजिस्ट्रार की सहमति से करना ।

(15) किसी अन्य विषय पर जो कि उप–विधियों के अनुसार लाए जाए, उन पर विचार करना।

(16) उपर्युक्त रीति से प्रस्तावित अन्य कार्य संपादन करना ।

6.3 साधारण/आम सभाओं की कार्यवाही, कार्यवाही पुस्तिका में प्रविष्टि की जाएगी। इस कार्यवाही की पुष्टि के लिए उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके द्वारा उस बैठक की अध्यक्षता की गई हो । बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति बैठक के दिनांक से 30 दिन के भीतर समस्त आमंत्रित सदस्यों को प्रेषित की जाएगी ।

6.4 संचालक मण्डल के बहुमत अथवा कुल सदस्यों के 1/10 या 50 सदस्यों द्वारा मांग करने पर अथवा रजिरट्रार अथवा संघ के संचालक मण्डल द्वारा मांग करने पर सदस्यों की विशेष साधारण सभा/ आम सभा आमंत्रित की जाएगी । संस्था के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी बैठक मांग प्राप्त होने के 30 दिन में आमंत्रित करें ।

6.5 साधारण सम्मिलन की सूचना में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख एवं समय साथ ही सम्मिलन में किये जाने वाले कामकाज के विवरण के साथ सम्मिलन की तारीख से 14 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को साधारण डाक द्वारा भेजी जायेगी एवं सूचना,

सोसायटी के क्षेत्र में परिचालित अधिकतम दो स्थानीय हिन्दी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी ।

6.6 साधारण/ आम सभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों की अनुमति से कोई भी सदस्य किसी भी विषय पर ऐसा प्रस्ताव ला सकेगा जो कि आम सभा की सूचना में उल्लेखित नहीं हो लेकिन वह किसी सदस्य के निष्कासन या उप–विधियों में संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकेगा।

6.7 कुल सदस्यों के 1/5 अथवा 50 दोनों में से जो भी कम हो, के द्वारा साधारण सभा की गणपूर्ति मानी जाएगी । यदि साधारण सभा के दिनांक एवं समय पर गणपूर्ति न हो पाये तो सूचना पत्र में दर्शाये अनुसार बैठक नियत समय से आधा घण्टा या अन्य तिथि के लिए स्थगित की जाएगी। इस प्रकार स्थगित बैठक के लिए भी कोरम की आवश्यकता होगी ।

6.8 संस्था का अध्यक्ष, साधारण सभा की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में साधारण सभा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा । दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से एक सदस्य को साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता के लिए चयन किया जाएगा। किन्तु यदि सोसाइटी के संचालक मण्डल को अधिनियम की किसी भी धारा के अंतर्गत अधिक्रमित, निलंबित या हटा दिया गया हो तो उस स्थिति में रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा साधारण सभा की अध्यक्षता की जाएगी।

6.9 प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। किसी भी बिन्दु पर बराबरी की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

6.10 वार्षिक साधारण सभा में समस्त संकल्प उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चत किये जाएंगे, जब तक कि सम्मेलन में उपस्थित कम से कम दस सदस्यों द्वारा मतदान की मांग न की जाए, मतदान हाथ उठाकर किया जाएगा, यदि मतदान की मांग न की जाए तो अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा की जाएगी कि प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है या गिर गया है और कार्यवाही के कार्यवृत्त में इस बारे में की गई प्रविष्टि इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि ऐसा संकल्प समुचित रीति से स्वीकृत किया गया है या गिर गया है। यह मतदान की संख्या या अनुपात जो ऐसे संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अभिलिखित स्पष्ट नहीं किया गया हो के प्रमाण स्वरूप होगा।

6.11 वार्षिक (साधारण) आम सभा में पारित कोई भी प्रस्ताव पारित होने के दिनांक से छः माह में परिवर्तित अथवा निरस्त नहीं किया जा सकेगा। किन्तु संचालक मण्डल के 2/3 सदस्यों की यह धारणा हो कि संस्था के हित में कोई भी विशिष्ट प्रस्ताव सुधारा जाना या बदलना आवश्यक है और रजिस्ट्रार को ऐसा परिवर्तन स्वीकार हो तो संचालक मण्डल इस हेतु विशेष (साधारण) सभा छः माह के अन्दर आमंत्रित कर सकती है। उप–विधि क्रमांक 6.4 के प्रावधान के अन्तर्गत बुलाई गई विशेष साधारण सभा की बैठक के अभाव में अध्यक्ष विशेष साधारण सभा की बैठक को ऐसी सुविधाजनक तारीख समय और स्थान के लिए जैसा कि वह उचित समझे, स्थगित कर देगा और उक्त बैठक में किए जाने वाले कार्य का स्थगित बैठक में सामान्य रीति से निपटारा किया जाएगा ।

7 संचालक मण्डलः–

7.1 संस्था के संचालक मण्डल में एक अध्यक्ष एवं दो उपाध्यक्ष सहित कुल 11 पद होंगे, जिनमें से 9 पद सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, एक पद दुग्ध संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए दुग्ध संघ का पर्यवेक्षक/ग्रामीण विस्तार संगठक, पदेन सदस्य होगा एवं एक पद दुग्ध व्यवसाय/उत्पादन के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले

संचालक का रहेगा, जिसे संचालक मण्डल द्वारा सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

7.2 (1) सहकारी सस्था के सचालक मण्डल मे जिसमे वैयक्तिक महिला सदस्य हो, दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(2) संस्था में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के वैयक्तिक सदस्य हो तो एक स्थान उस प्रवर्ग के सदस्य के लिये आरक्षित रखा जाएगा, जिसके अन्य की अपेक्षा अधिक सदस्य हो।

7.3 (1) कोई भी व्यक्ति किसी संस्था में अध्यक्ष या सभापति के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य है या जो जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगरीय स्थानीय निकाय मण्डी बोर्ड या मण्डी संस्था में कोई पद धारण करता है, किन्तु वे व्यक्ति किसी संस्था के संचालक या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हो सकेंगे।

(2) कोई भी व्यक्ति संस्था के किसी भी विनिर्दिष्ट पद पर निर्वाचित होने या नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा और वह उस रूप में अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा, यदि वह उस संस्था में कोई विनिर्दिष्ट पद पर अपने सहयोजन या अपनी नियुक्ति या दोनों कालावधि को सम्मिलित करते हुए दो लगातार कार्यकालों तक या 10 वर्षों की लगातार कालावधि तक, इनमें से जो भी कम हो धारण कर चुका हो ।

परन्तु किसी व्यक्ति को ऐसे विनिर्दिष्ट पद पर तब तक पुनः निर्वाचित या पुर्ननियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि एक पूरे कार्यकाल के बराबर की कालावधि का अवसान न हो गया हो।

स्पष्टीकरण :– इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, यदि इस उपधारा में उल्लेखित किसी विनिर्दिष्ट पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे पद को किसी कार्यकाल के दौरान किसी भी समय त्याग देता है, या ऐसे पद पर निर्वाचित हो जाता है तो यथास्थिति उसके द्वारा त्याग–पत्र दे दिया जाने पर या पद ग्रहण कर लेने पर उस संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने अपनी पदावधि पूर्ण कर ली है।

(3) कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शीर्ष संस्थाओं का, एक से अधिक केन्द्रीय संस्थायों का तथा एक से अधिक प्राथमिक संस्थाओं का विनिर्दिष्ट पद धारण नहीं करेगा। परन्तु इस धारा के उपबंध एक ही वर्गीकरण वाली संस्थायों पर लागू होंगें।

यदि कोई संचालक, पदाधिकारी, प्रतिनिधि को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा–50(क) के अन्तर्गत निरर्हता है तो वह ऐसे पद पर नहीं रह पाएगा। यदि वह मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 50(क) में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं के फलस्वरूप निरर्हत हो जाता है, तो रजिस्ट्रार उसके स्थान को रिक्त घोषित करेगा। संस्था सचिव, ऐसे निरर्हत संचालकों, प्रतिनिधियों की जानकारी पन्द्रह दिवस के अन्दर रजिस्ट्रार को देंगे ।

7.4 संचालक मण्डल एवं प्रतिनिधियों के लिए अयोग्यता :–

कोई भी व्यक्ति संस्था के संचालक मण्डल के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा और अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा यदि वह निरर्हता के कारण अयोग्य है, और कोई संस्था, किसी अन्य संस्था के संचालक मण्डल में अपने प्रतिनिधित्व के रूप में या अन्य संस्था में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करेगी, परन्तु यदि कोई सदस्य इस उप–विधि के अधीन विहित

किसी निरर्हता के कारण निरर्हत है, तो :–

(1) संस्था के संचालक मण्डल के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे सदस्य को, जबकि वह सस्था का सदस्य रहते हुए संचालक के रूप में निर्वाचित हो जाता है, संस्था की जानकारी में आने की तारीख से दो मास के भीतर उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पद धारण करने से रोक सकेगा।

(2) यदि कोई सदस्य उच्च स्तरीय संस्था में प्रतिनिधि के रूप में उसके कार्य करने के कारण से निरर्हित हो जाता है, तो ऐसी उच्च स्तरीय संस्था उसे उच्च स्तर संस्था में पद धारण करने के लिए निरर्हित करने की कार्यवाही करेगी, और यदि संस्था कार्यवाही करने में असफल रहती है, तो रजिस्ट्रार ऐसे सदस्य को, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् लिखित में आदेश द्वारा ऐसा पद धारण करने से रोक सकेगा।

स्पष्टीकरण :– इस उप–विधि के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "निरर्हता" के अन्तर्गत किसी संस्था के संचालक मण्डल के सदस्य या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए अधिनियम की धारा 50 (क) में विनिर्दिष्ट निरर्हता सम्मिलित नहीं होगी।

7.5 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों का निर्वाचन:–

(1) संचालक मण्डल का कार्यकाल उस तारीख से जिसको अध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए संचालक मण्डल की प्रथम बैठक की जाती है, से पांच वर्ष होगा।

(2) संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्वाचन के साथ–साथ अन्य संस्थायों जिसमें कि वह सदस्य है में संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि चुनेगी और ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि को संस्था अन्य संस्था के चुनाव होने तक वापिस नहीं बुला सकेगी ।

(3) संचालक मण्डल के सदस्यों, संस्थायों का प्रतिनिधित्व अन्य संस्थायों में करने हेतु प्रतिनिधियों, उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष का निर्वाचन रिटर्निंग आफिसर द्वारा विहित रीति से कराया जाएगा ।

(4) निर्वाचन द्वारा आरक्षित स्थान नहीं भरे जाने की स्थिति में संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्य/प्रतिनिधि निर्वाचन के पश्चात् आयोजित प्रथम बैठक में गणपूर्ति होने पर रिक्त स्थान की पूर्ति उन्हीं वर्ग के सदस्यों से सहयोजन द्वारा करेंगे जिस पद के लिए वे स्थान आरक्षित है गणपूर्ति के अभाव में सहयोजन नहीं किया जा सकेगा परन्तु यह और भी कि यदि उप–विधियों में संचालक मण्डल की बैठक के लिए निर्धारित गणपूर्ति से कम संख्या में सदस्य प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित होते हैं तो ऐसी दशा में सहयोजन नहीं होगा अपितु शेष पदों हेतु निर्वाचन की प्रकिया पुनः प्रारंभ की जाएगी ।

यदि संचालक मण्डल की अवधि उसकी मूल अवधि से आधे से कम है तो सदस्यों के उसी वर्ग से, जिसके कि सम्बंध में आकस्मिक रिक्ति उद्भूत हुई है, नामनिर्देशन द्वारा आकस्मिक रिक्ति भर सकेगा। ऐसी बैठकों की अध्यक्षता रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

7.6 इन उप–विधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी दुग्ध संघ के आवेदन पर पंजीयन के समय संचालक मण्डल एवं उसके अध्यक्ष को 6 माह की अवधि के लिए रजिस्ट्रार नामांकित कर सकेंगे। नामांकित संचालक मण्डल की रचना साधारणतया उप–विधि कमांक 7.1 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार किसी भी समय अध्यक्ष सहित किसी भी सदस्य का नामांकन समाप्त कर उसके स्थान पर किसी अन्य को

नामांकित कर सकेगा।

7.7 संचालक मण्डल के 1/2 सदस्यों से अधिक की उपस्थिति बैठक की गणपूर्ति मानी जाएगी।

8 संचालक मण्डल सदस्यता हेतु योग्यता :–

निम्नलिखित योग्यता वाले सदस्य ही संचालक मण्डल के सदस्य के चुनाव के लिए योग्य होंगे एवं संचालक मण्डल के सदस्य बने रह सकेंगे :–

(1) यदि वह किसी भी सहकारी संस्था के लिए गए ऋण/अग्रिम के लिए बारह माह से अधिक का व्यतिक्रमी नहीं है।

(2) यदि उसका सस्था के किसी चालू अनुबंध में अथवा संस्था द्वारा क्रय या विक्रय की गई किसी सम्पत्ति में अथवा संस्था द्वारा किए गए किसी व्यवहार में कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष हित नहीं हैं, संस्था में उसके द्वारा किए विनियोग को छोड़कर ।

(3) यदि वह इस संस्था अथवा किसी अन्य संस्था में राशि के गबन या दुर्विनियोग के लिए दंडित नहीं किया गया है अथवा किसी भी वैधानिक प्रकिया द्वारा अयोग्य नहीं किया गया है।

(4) यदि वह अधिनियम की धारा 74 के अधीन किसी भी अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।

(5) यदि वह स्वयं उस संस्था का या किसी अन्य संस्था का वेतनभोगी कर्मचारी नहीं है और संस्था के किसी कर्मचारी का निकट का रिश्तेदार नहीं है ।

(6) यदि वह स्वयं या उसके संयुक्त परिवार का कोई सदस्य संस्था के साथ समान व्यवसाय नहीं करता है या किसी ऐसे व्यवसाय में भागीदारी नहीं है। (व्यवसाय में ठेके भी सम्मिलित होंगे)

(7) यदि गत् तीन सहकारी वर्षों में उसके विरूद्ध संस्था की राशि वसूल करने हेतु कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की गई हो।

(8) यदि उसने गत तीन वर्षों से संस्था के वैतनिक कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं किया हो ।

(9) यदि उसमें अधिनियम, नियम एवं उप–विधियों में विनिर्दिष्ट कोई अयोग्यता नहीं है।

9 संचालक मण्डल सदस्यता की समाप्ति :–

किसी सदस्य की संचालक मण्डल की सदस्यता निम्न कारणों से समाप्त की जा सकेगी :–

(1) अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करने एवं संचालक मण्डल से उसे स्वीकृत करा लेने पर ।

(2) मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से संस्था की उसकी सदस्यता समाप्त हो जाने पर।

(3) संचालक मण्डल के सदस्य हेतु आवश्यक योग्यता में से एक भी योग्यता समाप्त होने पर ।

(4) संचालक मण्डल की बैठक में सूचना प्राप्त होने के पश्चात भी लगातार तीन बैठकों में संचालक मण्डल ऐसे संचालक की सदस्यता समाप्त करेगा, किंतु सदस्यता समाप्त करने के पूर्व ऐसे संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान

(5) संचालक मण्डल का उत्तरदायित्व होगा कि ऐसे प्रस्ताव की सूचना सदस्य को विधिवत् दी जाए। ऐसी सूचना संस्था के सूचना पटल पर लगाने से भी सूचना देना वैधानिक माना जाएगा।

10 संचालक मण्डल अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि निर्वाचन :–

(1) संचालक मण्डल द्वारा अपने निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचन अधिकारी द्वारा निगत दिनांक को आहूत बैठक में अध्यक्ष एवं साथ ही अन्य सहकारी संस्थायां जिनकी यह संस्था सदस्य है, में प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि का निर्वाचन भी किया जाएगा।

(2) अन्य सहकारी संरथायों गें प्रतिनिधित्व हेतु उप–विधि कमांक 7.5.2 के अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधि को तब तक वापस नहीं बुलाया जाएगा। जब तक की सस्था का आगामी चुनाव नहीं हो जाता है ।

(3) अध्यक्ष संचालक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष के द्वारा की जायेगी । दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित मताधिकार प्राप्त सदस्यों द्वारा चुना हुआ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) संचालक मण्डल के निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। किसी भी विषय पर बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष को अपने मत के अतिरिक्त एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(5) संचालक मण्डल की बैठक, व्यवसाय सम्पादन हेतु जब आवश्यक हो तब अथवा तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य सम्पन्न होगी। यदि संभव हो तो पूर्व में ही आगामी बैठक के लिए माह का सप्ताह, दिन तय कर लिया जाए, ताकि सभी सदस्यों को उसकी जानकारी रहे ।

(6) कोई भी सदस्य किसी ऐसे विषय, जिसमें उसका व्यक्तिगत हित निहित है उपस्थित नहीं रहेगा व मतदान नहीं करेगा । किन्तु उसके हितों के विरूद्ध निर्णय लिए जाने की स्थिति में उसे अपना पक्ष स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा ।

(7) संचालक मण्डल द्वारा अथवा संचालक मण्डल के किसी सदस्य द्वारा किया गया कोई भी कार्य बाद में यह ज्ञात होने पर भी कि संचालक मण्डल या उसके सदस्यों की नियुक्ति में कोई दोष है, तो उसी प्रकार वैध समझा जाएगा जैसे कि संचालक मण्डल या उस व्यक्ति की नियुक्ति विधिवत हुई है ।

(8) संचालक मण्डल के समस्त निर्णय कार्यवाही–पुस्तिका में अंकित किए जाएंगे। इस कार्यवाही की पुष्टि के लिए सचिव के अतिरिक्त उस व्यक्ति के द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसके द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई है। बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रतिलिपि बैठक के दिनांक से 30 दिन के भीतर, समस्त आमंत्रित सदस्यों को प्रेषित की जाएगी ।

11 संचालक मण्डल के कर्तव्य, अधिकार और दायित्व :–

(1) गत बैठक की पुष्टि करना ।

(2) सदस्यता, त्यागपत्र, अंश आंवटन एवं अंश वापसी के आवेदनों का निपटारा करना तथा अंशों की बकाया किस्त की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही करना ।

(3) संस्था के कार्य संचालन हेतु आवश्यक निधियॉं एकत्र करना, अमानतें प्राप्त करने हेतु शर्त का निश्चय करना और निधियों के आधिक्य को "अधिनियम" की धारा 44

के प्रावधानों के अनुसार विनियोजित करना ।

(4) सहकारी बैंकों में संस्था के नाम से आवश्यक खाते खोलना एवं नगदी व्यवहार हेतु आवश्यक अधिकार देना ।

(5) संस्था के लेखों का निरीक्षण करना, रोकड़ का भौतिक सत्यापन करना एवं अध्यक्ष अथवा संचालक मण्डल के किसी सदस्य को रोकड़ बही पर नियमित रूप से हस्ताक्षर करने को अधिकृत करना ।

(6) सदस्य पंजी, खाताबही एवं अन्य पंजियों का सत्यापन करना एवं उसमें व्यवस्थित रूप से प्रविष्टि किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना ।

(7) आम सभा की दिनांक, समय, स्थान एवं विषय सूची निश्चित करना। अधिनियम की धारा 50 के अनुरूप विशेष साधारण सभा आमंत्रित करना और यह देखना कि वार्षिक आम सभा निर्धारित समयावधि में सम्पन्न होती है ।

(8) वार्षिक प्रतिवेदन एवं खाते समयावधि में तैयार करना तथा अध्यक्ष, संचालक मण्डल के किसी सदस्य को उन्हें प्रकाशित कराने हेतु अधिकृत करना और साधारण सभा को लाभ वितरण की सिफारिश करना ।

(9) स्वत्वों की मांग प्रस्तुत करना, वैधानिक प्रकरणों में प्रतिरक्षण अथवा समझौता करना तथा अन्य शिकायतों को सुनना एवं उनका निराकरण करना ।

(10) संस्था के कार्यालय और/अथवा भण्डारण या सामान विक्रय हेतु भवन और/अथवा गोदाम किराये पर लेना या साधारण सभा का और रजिस्ट्रार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर निर्माण करना/क्रय करना।

(11) संस्था के सफल संचालन हेतु साधारण सभा के प्रस्ताव, अधिनियम, नियम एवं उप–विधियों के अनुकूल प्रशासकीय नियम बनाना। ऐसे प्रशासकीय नियम संचालक मण्डल की कार्यवाही पुस्तक में अंकित किये जाएंगे एवं साधारण सभा के अनुमोदन के पश्चात् रजिस्ट्रार के अनुमोदन उपरान्त कियान्वित किये जाएंगे।

(12) सहकारिता विभाग/अंकेक्षक/ ——— दुग्ध संघ एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा मांगे गये सभी पत्रक एवं अन्य जानकारियां समयावधि में प्रस्तुत करना ।

1. साथ ही प्रत्येक वर्ष 30 मई तक संस्था के वित्तीय पत्रक तैयार कर अंकेक्षक/उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत करना ।
2. रजिस्ट्रार द्वारा अंकित अंकेक्षण शुल्क भुगतान आदेश प्राप्ति के 12 दिन के भीतर शासकीय कोषालय में अथवा रजिस्ट्रार के निर्देशानुसार जमा करना ।

(13) संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कार्यवाही करना तथा अंकेक्षण टीप में दिये गये निर्देशों के कार्यान्वयन की व्यवस्था करना। अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शित त्रुटियों का निराकरण करना एवं उसके प्राप्ति के एक माह में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। यह निराकरण एवं पालन प्रतिवेदन आगामी साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करना। सहकारिता विभाग के अंकेक्षकों, बैंक एवं संघ के प्राधिकृत अधिकारियों को सभी जानकारी उपलब्ध कराना ।

(14) संस्था की उप–विधियों एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन की आम सभा को सिफारिश करना ।

(15) संस्था के सचिव/व्यवस्थापक से संस्था के मासिक लेखा पत्रकों, जैसे आय–व्यय, बिक्री खरीद एवं स्कंध (स्टॉक) आदि प्राप्त करना, उनका निरीक्षण एवं अनुमोदन करना तथा साधारण सभा द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानों के अंतर्गत व्ययों का अनुमोदन करना ।

(16) संस्था के लेखा, पूंजी, यंत्र एवं औजार, स्कंध आदि के लिये विशिष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करना ।

(17) संस्था का नगद राशि अथवा अन्य वस्तुओं की हानि के विरूद्ध उचित दर पर पैकेज बीमा पॉलिसी लेना ।

(18) संघ के निर्देशानुसार दूध, घी, पशु आहार आदि की खरीद, बिक्री की व्यवस्था करना तथा संघ के अन्य निर्देशों का पालन करना ।

(19) संस्था के बकाया ऋणों की वसूली हेतु सभी आवश्यक कदम उठाना ।

(20) संघ के निर्देशों के अनुसार दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, पशु चिकित्सा नस्ल सुधार, पशु प्रजनन आदि से सम्बंधित सभी आवश्यक कार्य करना ।

(21) अध्यक्ष द्वारा अ–निराकृत सभी विवादों का निपटारा करना ।

(22) संस्था के सचिव/ व्यवस्थापक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कार्यमुक्त करना, निलम्बित करना, पृथक करना एवं आवश्यक विभागीय कार्यवाही करना। यदि संघ द्वारा व्यवस्थापक/सचिव के संवर्ग का निर्माण किया गया हो तो उनकी नियुक्ति उसमें से की जा सकेगी। संघ द्वारा समय–समय पर सचिव/व्यवस्थापक एवं अन्य कर्मचारियों संबंधी सुविधाऐं देने के निर्देशों का पालन करने के लिए संस्था बाध्य होगी। संघ द्वारा प्रशिक्षित किसी भी कर्मचारी को सेवा से पृथक करने से पूर्व संघ की स्वीकृति लेना आवश्यक होगी ।

(23) संस्था के सभी वैतनिक कर्मचारियों के वेतनमान सेवाशर्ते एवं योग्यता निर्धारित कर उन्हें रजिस्ट्रार के अनुमोदन पश्चात् लागू करना। रजिस्ट्रार द्वारा संस्था के लिये स्टाफिंग पेटर्न लागू करने पर उसका पालन करना। कर्मचारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण संचालक मण्डल द्वारा किया जाएगा।

(24) संस्था के सभी कर्मचारियों से सिक्युरिटी बॉण्ड निष्पादन करवाकर प्राप्त करना, उन्हें सहकारी बैंक में सुरक्षित रखना तथा उसकी रसीद प्राप्त करना। प्रतिवर्ष यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी की प्रतिभूति चालू हैं एवं तदाशय की टीप संचालक मण्डल की बैठक में अंकित करना।

(25) संस्था के कर्मचारियों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि के नियम बनाना तथा साधारण सभा एवं रजिस्ट्रार के अनुमोदन के बाद उन्हें कार्यान्वित करना ।

(26) संस्था की उप–विधियों में अन्यत्र वर्णित शर्तो के अतिरिक्त संचालक मण्डल किसी भी व्यक्ति को संस्था के कर्मचारी के रूप में निम्न योग्यता होने पर निरन्तर रख सकती हैं या नियुक्ति कर सकती हैं :–

(1) यदि वह संस्था के उद्देश्यों जैसे दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ पशु आहार, दूध एवं पशु आहार का परिवहन आदि से संबंधित किसी व्यवसाय में स्वतंत्र रूप से या अनुबंध द्वारा या भागीदारी के रूप में सम्मिलित नहीं है।

(2) यदि वह किसी स्थानीय संस्था (या किसी अन्य संस्था) में वैतनिक कर्मचारी के रूप में अथवा मानसेवी पद पर आसीन नहीं हैं ।

(3) यदि वह इस या किसी अन्य संस्था में गबन या दुरावस्था के लिये दोषी नहीं पाया गया है ।

(4) यदि संस्था का कोई भी कर्मचारी उसके सेवाकाल में कभी भी उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन पाया गया तो संचालक मण्डल उसे अविलम्ब सेवाओं से पृथक कर सकेगा ।

(27) संचालक मण्डल निर्धारित सीमाओं में अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत राशि विनियोजित कर सकेगा, किन्तु भवन निर्माण में विनियोजन हेतु रजिस्ट्रार एवं सम्बन्धित संघ की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी ।

(28) जनहित में राज्य शासन/ रजिस्ट्रार द्वारा निर्देशों का पालन करना ।

(29) संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन करना एवं उन्हें पद से हटाना ।

12 संचालकों के निष्कासन की प्रणाली एवं रिक्तता की पूर्ति :–

(1) संस्था के किसी सदस्य या पदाधिकारी की अपात्रता की जानकारी ज्ञात होने की तारीख से दो माह के भीतर उसे सुनवाई कर युक्तियुक्त समय देने के पश्चात् संस्था उसे पद धारण करने के अयोग्य घोषित कर सकेगी । इस प्रकार रिक्त घोषित पद की सूचना संस्था, जिले के रजिस्ट्रार को लिखित रूप में पारित किये गए आदेश के दिनांक से 7 दिन के अन्दर सूचित करेगी ।

(2) यदि संस्था के एक तिहाई निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी को उल्लेखित कारण से हटाने का संयुक्त आवेदन संस्था के सचिव को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे आवेदन प्राप्ति के सात दिवस के अन्दर सचिव आवेदन पर कार्यवाही करने हेतु उसे रजिस्ट्रार को भेजेगा। रजिस्ट्रार अथवा उसके प्रतिनिधि आवश्यक संतुष्टि के बाद किसी अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो संस्था की संचालक मण्डल की विशेष बैठक अध्यक्ष/अन्य पदाधिकारियों को हटाने बाबत् बुलाएगा । जिसमें संचालक मंडल के कुल निर्वाचित सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। ऐसी बैठक की अध्यक्षता रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

परन्तु इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव ऐसे पदाधिकारी के निर्वाचन होने के 1 वर्ष के अन्दर नहीं कराया जा सकेगा तथा इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव को पुनः लाने के लिये 1 वर्ष का अन्तराल आवश्यक होगा, एवं संस्था के कार्यकाल के छः माह शेष रहने पर प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा ।

13 संचालक मण्डल का अतिष्ठान :–

(1) यदि रजिस्ट्रार की राय में किसी संस्था का संचालक मण्डल निरन्तर व्यतिक्रम करता है, या

(2) इस अधिनियम या उस संस्था के उप–विधियों द्वारा या उनके अधीन या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किए गए किसी विधिपूर्ण आदेश द्वारा उस पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों का पालन करने में उपेक्षावान है या ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए रजामंद नहीं है, या

(3) ऐसे कार्य करता है जो उस संस्था या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल है, या

(4) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या संस्था के उप–विधियों के उपबंधों का या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश का अतिक्रमण करता है, या

(5) किसी संस्था के संचालक मण्डल के गठन में या कृत्यों में कोई गतिरोध है, या

(6) प्राधिकारी, विहित समय–सीमा के भीतर निर्वाचन कराने में असफल रहता है,

तो रजिस्ट्रार, लिखित में आदेश द्वारा संचालक मण्डल को हटा सकेगा और संस्था के क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिए एक विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए जो छः मास से अधिक नहीं होगी एक प्रशासक नियुक्त कर सकेगा।

परंतु यह और भी कि उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संचालक मण्डल को अभिकथनों, दस्तावेजों तथा उसके विरूद्ध लगाए गए आरोपों के समर्थन में साक्ष्यों की एक सची तथा प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

14 अध्यक्ष के दायित्व :–

(1) सचिव के प्रतिदिन के नियमित कार्यों का पर्यवेक्षण करना ।

(2) उप–विधियों में उल्लेखित राशि के आधिक्य को बैंक में जमा करना। यह सुनिश्चित करना कि कुल धनराशि क्रय किये जाने वाले दूध के सामान्य मूल्य के छः गुना अर्थात तीन दिन के दूध क्रय की राशि से अधिक न हो पाए ।

(3) संग्रहित माल, यंत्र एवं औजार, मृत स्कन्ध (स्टाक) आदि को कम से कम तीन माह में एक बार सत्यापित करना या करवाना एवं इस आशय का प्रस्ताव संचालक मण्डल के एजेण्डा में सम्मिलित करना ।

(4) यह देखना कि संस्था का कार्य अधिनियम एवं उप–विधियों के प्रावधानों के अनुसार चल रहा है ।

(5) अंकेक्षण टीप, निरीक्षण एवं प्राप्त प्रतिवेदनों में दर्शित आपत्ति का निराकरण करने हेतु आवश्यक कदम उठाना ।

(6) सहकारिता विभाग, बैक एवं दुग्ध संघ द्वारा चाही गयी जानकारी एवं विवरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना ।

(7) जहां तक संभव हो शिकायतों का निराकरण करना और ऐसी शिकायतों को अपने जॉच प्रतिवेदन सहित संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना ।

(8) संस्था के सचिव का इस बात का विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व नियत करेगी कि वह ऐसे अभिलेख, रजिस्टर, लेखा पुरतकें बनाए रखे और सोसायटी रजिस्ट्रार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर विवरणियां प्रस्तुत करेंगी जिसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित होगे, अर्थात् –

- उसके क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट,
- उसके लेखाओं के संपरीक्षित विवरण,
- सहकारी संस्था के साधारण निकाय द्वारा यथाअनुमोदित अतिशेष व्ययन के लिये प्लान,
- सहकारी संस्था के उप–विधियों की सूची, यदि कोई हों,
- उसके साधारण निकाय का सम्मिलन आयोजित करने की तारीख के संबंध में घोषणा तथा निर्वाचन कराना, जब अपेक्षित हो जाए, और
- अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी,

15 सचिव :–

(1) सचिव के कर्तव्य उप–विधि में अन्यत्र कहीं भी दिये गये हैं, के अतिरिक्त निम्नानुसार होंगे। अध्यक्ष के निर्देशानुसार आमसभा/संचालक मण्डल की बैठकें

बुलाना, उनमें उपस्थित रहना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाही को अंकित करना।

(2) सचिव वेतन भोगी कर्मचारी होगा । जिसकी नियुक्ति संचालक मण्डल करेगी ।

(3) संचालक मण्डल के निर्देशों के अनुरूप संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि निकालना, संस्था की राशि वसूल करना एवं आवश्यक खर्च करना ।

(4) संस्था को संबोधित सभी पत्र व्यवहार प्राप्त करना एवं विशिष्ट विषयों पर संचालक मण्डल का ध्यान आकृष्ट करना ।

(5) संस्था के लिये सभी रसीदें, प्रमाणक, वार्षिक प्रतिवेदन, स्थिति विवरण पत्रक तैयार करना एवं समयावधि में सहकारी विभाग, बैंक एवं संघ को आवश्यक जानकारी एवं लेखा उपलब्ध करना।

(6) संस्था के सामान्य प्रशासन संबंधी सभी पत्र व्यवहार करना, सदस्यों को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना एवं विशिष्ट मामलों पर अध्यक्ष की अनुमति से पत्र व्यवहार करना ।

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन बिना विलंब के संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना, प्रतिवेदन में दर्शित त्रुटियों का त्वरित निराकरण करना एवं संचालक मण्डल से अनुमोदित करा कर एक माह में अंकेक्षक को प्रस्तुत करना ।

(8) संस्था के अन्य कर्मचारियों को मार्ग दर्शन देना, उनके कार्यभार पर नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण रखना, संचालक मण्डल को उनके कार्यो की जानकारी देना एवम् संचालक मण्डल की सहमति से उनके कर्तव्य निर्धारित करना।

(9) संस्था की रोकड़ पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें लिखना या लिखवाना ।

(10) खरीदे गये दूध की राशि नियमित वितरित करना एवं प्रतिदिन के स्थानीय दूध विक्री एवं अन्य विक्री की राशि संस्था के संबंधित व्यक्ति से प्राप्त करना ।

(11) संचालक मण्डल के समक्ष मासिक आय–व्यय पत्रक, खरीद/बिक्री पत्रक लाभ–हानि आदि अनुमोदन हेतु प्रस्ताव करना ।

(12) रोकड़ आधिक्य को बैंक में जमा करना ।

(13) संस्था के उप–विधि के अनुसार व्यवसाय वृद्धि हेतु आवश्यक कदम उठाना ।

(14) यह देखना कि संस्था की राशियां नियमित वसूली जाती हैं और यदि यह संभव न हो तो संचालक मण्डल की सहमति से वैधानिक कार्यवाही हेतु आवश्यक कागजात तैयार करना ।

(15) अध्यक्ष अथवा संचालक मण्डल द्वारा निर्देशित अन्य सभी कार्य करना।

(16) सचिव की अनुपस्थिति में संचालक मण्डल किसी अन्य व्यक्ति को सचिव के कार्य हेतु अधिकृत कर सकता है। यदि संचालक मण्डल द्वारा ऐसे अधिकार नहीं दिये गये हो तो दूसरा व्यक्ति जिसका वेतन सचिव से कम होगा सचिव के कार्य हेतु उत्तरदायी होगा।

16 लाभ विभाजन :–

वार्षिक साधारण सभा में गत् वर्ष के कुल शुद्ध लाभ की घोषणा की जाएगी। लाभ अर्जित करने पर संस्था गत वर्ष के सकल लाभों में से निम्नलिखित कटोत्री करके शुद्ध लाभ की संगणना करेगी।

(1) ऋण और निक्षेपों पर देय ब्याज ।

(2) संस्था का कार्यशील (संचालन) व्यय ।

(3) हानियाँ ।

(4) भवन एवं अन्य संपत्ति पर ह्रास (घसारा)

(5) संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत एवं संघ तथा रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित डूबंत ऋण।

(6) सस्था द्वारा लिए गए निर्णय या रजिस्ट्रार एवं संघ द्वारा निर्देशित कोई भी विशेष निधि ।

(7) कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी ग्रेच्युटी फण्ड में योगदान, यदि कोई हो तो ।

(8) इस प्रकार समायोजन के पश्चात् शेष को शुद्ध लाभ माना जाएगा। शुद्ध लाभ निम्नानुसार वितरित किया जाएगा ।

(1) कम से कम 25 प्रतिशत राशि रक्षित निधि में लाई जाएगी। रजिस्ट्रार की अनुमति से इसका 80 प्रतिशत तक संघ के अंश क्रय करने में विनियोजित किया जा सकेगा।

(2) अधिनियम की धारा 42 के अनुसार जिला सहकारी संघ की शिक्षा निधि हेतु चंदा देने में जिला सहकारी संघ की शिक्षा निधि के भुगतान के बाद ही संस्था द्वारा लाभांश का भुगतान किया जाएगा ।

(3) प्रदत्त पूंजी पर 25 प्रतिशत तक एवं रजिस्ट्रार की अनुमति से 25 प्रतिशत से अधिक लाभाश अंश–धारियों को दिया जा सकेगा । इस प्रकार शेष लाभ में प्रदत्त अंशपूंजी पर सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत लाभांश घोषित किगा जाएगा ।

(9) उपरोक्त समायोजन के बाद शेष लाभ का वितरण निम्नानुसार किया जाएगा :

(1) 65 प्रतिशत तक संस्था को प्रदाय किये गये दूध के मूल्य के अनुपात में सदस्यों को बोनस के रूप में दिया जाएगा ।

बोनस की रकम की गणना सदस्यों एवं असदस्यों द्वारा प्रदाय किए गए कुल दूध के मूल्य के आधार पर की जाएगी तथा उक्त गणना के अनुसार सदस्यों को उनके द्वारा प्रदाय किये गये दूध के मूल्य के अनुपात में ही वितरित की जाएगी। शेष राशि यदि कोई हो तो बोनस निधि में अथवा संघ के निर्देशानुसार अन्य निधि में लाई जाएगी।

(2) 10 प्रतिशत राशि पशु विकास निधि में डाली जाएगी ।

(3) 5 प्रतिशत राशि धर्मादा में डाली जाएगी ।

(4) 5 प्रतिशत राशि सहकारी प्रचार निधि में ले जाई जाएगी ।

(5) 5 प्रतिशत राशि अन्य निधियों में डाली जाएगी ।

(6) 10 प्रतिशत राशि कर्मचारियों को बोनस देने में प्रयुक्त होगी। कर्मचारियों को बोनस संचालक मण्डल के निश्चय के अनुसार दिया जाएगा पर यह किसी भी दशा में दो माह के वेतन से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार बोनरा देने के बाद शेष रही राशि अगले वर्ष के लिये कर्मचारी बोनस निधि में ले जाई जाएगी ।

(7) इसके बाद शेष रही राशि रक्षित निधि में ले जाई जाएगी। यदि उपरोक्त निधि से लाभ के वितरण में कोई परिवर्तन आवश्यक समझा जाए तो वह परिवर्तन केवल एक वर्ष के लिये साधारण सभा की स्वीकृति एवं रजिस्ट्रार के अनुमोदन के पश्चात किया जा सकेगा। साधारण सभा इन निधियों के उपयोग हेतु नियम बनाएगी एवं तदनुसार व्यय रजिस्ट्रार की अनुमति के

बाद ही किए जा सकेंगे ।

(8) अधिनियम की धारा 43 में वर्णित राशि के अतिरिक्त समस्त प्रवेश शुल्क, जुर्माने, अंश हस्तांतरण शुल्क, प्रतिसादित अंशो की राशि एव दान रक्षित निधि में ले जाये जाएंगे।

17 अंकेक्षण :—

(1) संस्था रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पैनल में से संस्था के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किए गए संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करवाएगी तथा उस संपरीक्षा शुल्क का भुगतान करेगी जो कि विहित किया जाए । परन्तु किसी परिसमापित संस्था की दशा में, परिसमापक, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल में से किसी संपरीक्षक अथवा परीक्षक फर्म को नियुक्त करने के लिए अधिकृत होगा।

(2) संस्था के लेखाओं की संपरीक्षा करने के पात्र संपरीक्षक तथा संपरीक्षा फर्म की न्यूनतम अर्हताएं तथा अनुभव ऐसा होगा जो कि रजिस्ट्रार द्वारा विहित किया जाए।

(3) संस्था के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष की, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के छः मास के भीतर कराई जाएगी।

18 विविध :—

(1) हिसाब एवं लेखे रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट प्रारूपों (Forms) में सुधार एवं परिवर्तन कर रखे जाएंगे।

(2) अध्यक्ष अथवा संचालक मण्डल के एक या अधिक सदस्य और सचिव जैसा कि संचालक मण्डल सुनिश्चित करें, को संयुक्त रूप से संस्था की ओर से अभिलेख निष्पादन, रसीद देने, अंश प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने, बैंक से व्यवहार करने का अधिकार होगा । जबकि संस्था द्वारा दी जाने वाली रसीदें संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी।

(3) संस्था का कोई भी सदस्य अधिनियम की धारा 28 के अनुसार कार्यालयीन समय में अपने व्यवसाय से सम्बंधित कोई भी पंजी या लेखों का निरीक्षण कर सकेगा । इस हेतु संचालक मण्डल कार्यालयीन समय निर्धारित करेगी ।

(4) प्रत्येक वर्ष 30 मई के पूर्व संस्था के संचालक मण्डल के द्वारा गत् वर्ष का आय एवं व्यय, सम्पत्ति एवं दायित्व स्थिति विवरण पत्रक प्रकाशित किया जाएगा।

(5) किसी भी सदस्य को निर्वहन की जाने वाली सूचना सदस्य के पंजीकृत पते पर रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक पत्र द्वारा भेजे जाने पर ही उपयुक्त रीति से निर्वहन की गई समझी जाएगी।

(6) अधिनियम एवं नियम के अनुसार उप विधियों में संशोधन किया जा सकेगा, बशर्ते कि ऐसे संशोधनों के लिए बैठक की सूचना सभी सदस्यों को कम से कम 14 दिन पूर्व दी गई हो। संशोधन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित (पंजीकृत) हो जाने के बाद ही प्रभाव में आएगा ।

(7) संस्था, जिला सहकारी संघ, जिला . . . . . केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित जिला . . . . . सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ... एवं अन्य ऐसी संस्था जो कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में उपयोगी हो, से सम्बद्ध होगी।

(8) प्रत्येक सदस्य को एक पास बुक दी जाएगी एवं उसमें संस्था से किए गए उसके समस्त संव्यवहार अंकित होंगे। संचालक मण्डल द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा उक्त पास बुक हस्ताक्षरित की जाएगी। इसे नियमित पूरा कराने का दायित्व सदस्य का होगा व आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के लिए संस्था में पास बुक कुछ समय तक रखी जाना अपेक्षित है। सदस्य को उक्त प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा उसके लिए एक रसीद प्रदान की जाएगी ।

(9) संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने के लिए समस्त व्ययों का वहन संबंधित संस्था द्वारा किया जाएगा, निर्वाचन संचालित कराने के लिए लिखित में अनुरोध के साथ प्रक्रिया शुल्क, जैसा कि विहित किया जाए, संस्था को प्राधिकारी के खाते में जमा करना होगा :

परन्तु यदि कोई संस्था प्रक्रिया शुल्क जमा नहीं करती है तो प्राधिकारी को उसे सरकारी शोध्य के समान वसूल करने की शक्ति होगी।

(10) इन उप–विधियों की व्याख्या में कोई भी कठिनाई/मतभेद होने की दशा में रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा एवं दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा ।

(11) अन्य प्रावधान जिनका शुल्क उपरोक्त इन उपविधियों में न किया गया हो के अधिनियम तथा नियम के अनुसार माने जायेंगे।